संख्या - **1/2017/** 1343 /14-5-2017-31/2014

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर e[;** सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
   आवास/औद्योगिक विकास/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण /
   ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई/रेशम विकास/
   माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/कृषि विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक 23 जून 2017

विषय:- वर्ष 2017-18 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 886/14-5-2017-114/2016, दिनांक 12.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 हेतु 05 करोड के वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या- 4-1़/ 2016-बी-1(एनएईबी) , दिनांक 11.05. 2017 के द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 2017-18 हेतु वृक्षारोपण का लक्ष्य 654.58 लाख आवंटित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्य के दृष्टिगत पूर्व में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12-05-2017 द्वारा वर्ष 2017-18 हेतुनिर्धारित 05 करोड के वृक्षारोपण का लक्ष्य को अतिक्रमित करते हुए अधोलिखित प्रस्तरो में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।

3- अवगत है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश का अधिक से अधिक भू-भाग हरा-भरा हो। वनों एवं वृक्षों से निरन्तर लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन नीति-1988 एवं राज्य वन नीति-1998 के अनुसार प्रदेश का एक तिहाई भू-भाग वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित हो। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार उ0प्र0के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.00 प्रतिशत वनावरण तथा 2.92 प्रतिशत क्षेत्र वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8.93 के मात्र प्रतिशत क्षेत्र (21,505 वर्ग कि0मी0 भू भाग) में ही वनावरण

shasnadesh.upnic.in

एवं वृक्षाच्छादन है । अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति एवं प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षाच्छादन में वृद्धि हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के रूप में कार्य किया जाना होगा ।

4 - शासनादेश संख्या-2005/14-5-2004-52/2003, दिनांक 10.11.2004 के द्वारा प्रदेश में वृक्षाच्छादन वृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के योगदान से वनीकरण/वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यो के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित है ।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017 (वर्षाकाल माह जुलाई - सितम्बर) में वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा 430 लाख पौधों का रोपण एवं अन्य विभागों द्वारा 224.58 लाख पौध, कुल 654.58 लाख पौध रोपण का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

क्रम सं0	**विभाग का नाम**	**वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य (पौध रोपण द्वारा)**	
		हे0 में	**पौध संख्या में**
1	2	3	4
1	वन विभाग	33988	43000000
	योग वन विभाग	**33988**	**43000000**
2	अन्य विभाग		
1	आवास विकास विभाग	545	600000
2	औद्योगिक विभाग	727	800000
3	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	545	600000
4	ग्राम्य विकास विभाग	7144	7858000
5	नगर विकास विभाग	455	500000
6	लोक निर्माण विभाग	455	500000
7	सिंचाई विभाग	727	800000
8	रेशम विकास	364	400000
9	माध्यमिक शिक्षा	682	750000
10	बेसिक शिक्षा	7409	8150000
11	क़षि विभाग	1364	1500000
	योग (अन्य विभाग)	**20416**	**22458000**
	कुल योग	**54404**	**65458000**

6- वृक्षारोपण के अन्तर्गत वन/आवास/औद्योगिक विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/ सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा/ क़षि

shramsadhan.up.nic.in

विभाग के लिए लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर दर्शाएं गये है। सम्बन्धित विभाग अपने विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के अभिलेख का रख-रखाव परिशिष्ट-2 के अनुसार सुनिश्चित करेगे तथा इस कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग समय से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे़।

7- वृक्षारोपण कार्यक्रम को जनोन्मुखी और अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिगत किसानों एवं आम नागरिकों को प्रेरित कर उनकी निजी भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु सभी विकास विभागों यथा आवास/औद्योगिक विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/ सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/ क़षि विभाग का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाय। बच्चों में पौधों के प्रति प्रेम जागृत करने एवं वृक्षारोपण के महत्व को उजागर करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को पौध रोपित करने हेतु प्रेरित किया जाय।

8- जिलाधिकारी जनपद के अन्य विभागों के लक्ष्य में अन्तर्विभागीय समायोजन कर सकते है, परन्तु जनपद का लक्ष्य परिवर्तित नही होगा।

9- बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार प्रति विद्यालय अधिकतम 40 पौध की दर से लक्ष्यों का आवंटन किया गया है।

10- कृषि विभाग को प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित 27 जनपदों में नदी के किनारे स्थित ग्रामों की सख्या के अनुपात में वृक्षारोपण लक्ष्य आवंटित किये गये है।

11- **जिला वृक्षारोपण समिति** -जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति गठित है जिसके संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी है तथा सभी कार्यदायी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य है वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु समिति का मुख्य दायित्व समन्वय, नियोजन एवं वृक्षारोपण की सफलता का नियमित अनुश्रवण करना होगा।

जिला वृक्षारोपण समिति जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी तथा जिले के आवंटित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समय से रण्नीति तैयार कर वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करेगी।

जिला वृक्षारोपण समिति समस्त विभागों के निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठक कर वृक्षारोपण से सम्बन्धित तैयारियों एवं प्रगति का अनुश्रवण करेगी। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

12- **पौधों की उपलब्धता के लिए रणनीति** - निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु जिला वृक्षारोपण समिति बैठक करके रणनीति तैयार करेगी। निजी पौधशालाओं से पौधों का क्रय तभी किया जायेगा जब प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी विभाग को यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो कि उनके नियंत्राधीन विभागीय पौधशालाओं में पौध उपलब्ध नही है। निजी पौधशाला में उपलब्ध पौधों का सर्वेक्षण वन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक जनपद में उपलब्ध पौधों की पौधशालावार एवं

प्रजातिवार सूचना संकलित करते हुए जिला वृक्षारोपण समिति को प्रस्तुत की जायेगी एव जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से उपलब्ध पौधों का विवरण अन्य कार्यदायी विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा।

13- प्रजातियों का चयन प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मृदा एवं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अनुसार रोपित किये जाने वाली उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का विवरण परिशिष्ट-3 पर रखा गया है । रोपित की जाने वाली प्रजातियों के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये जाते है कि यथासंभव स्थानीय प्रजातियों (indigenous species) के रोपण को प्राथमिकता दी जाय । परिशिष्ट-3 में उल्लिखित प्रजातियों के अतिरिक्त भी यदि मृदा/जलवायु अन्य प्रजातियों के लिए उपयुक्त हों तो उनका भी रोपण किया जा सकता है ।

14- **वित्तीय संसाधन की व्यवस्था -**

(क). भूमि उपयोग करने वाले सम्बन्धित विभाग यथा- आवास/औद्योगिक विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/ सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/क़षि विभाग अपने विभागीय बजट से खाली पड़ी सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य करायेंगे । इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 2664/14-5-2015-123/2015 दिनांक 20-10-2015 द्वारा विभिन्न विभागों को दिशानिर्देश निर्गत किये गये है जिसमें उनके आयोजनागत बजट से 0.5 प्रतिशत धनराशि भूमि एवं जल संरक्षण, वाटरशेड डेवलमेंट एवं वृक्षारोपण कार्यो में लगाये जाने का प्राविधान है ।

(ख). वृक्षारोपण कार्य को सम्पादित करने हेतु जनपद स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं यथा-मनरेगा से वित्त पोषण हेतु वृक्षारोपण के लिए परियोजनाएं जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित की जा सकती है ।

(ग). बैठक कर यह समीक्षा कर लें कि अग्रिम मृदा कार्य एवं तत्पश्चात वृक्षारोपण व अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो गयी है । अग्रिम मृदा कार्य कराने के लिए समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय की जा सकें।

15- **स्थल का चयन-**यह आवश्यक है कि जनपदों के लिए अन्तिम रूप से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाय। प्रत्येक कार्यदायी विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली जाय। इसमें वृक्षारोपण स्थल का चयन, रोपित किये जाने वाले पौधों का स्थल तथा प्रजातिवार संख्या का अनुमान, पौधों की प्राप्ति के लिए स्रोत (पौधशाला) का चिन्हीकरण, वृक्षारोपण क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी/व्यक्ति का नाम आदि विवरण तैयार कर लिया जाय।

16- वृक्षारोपण कार्य को माह जुलाई-2017 से किया जाना है। अतएव यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण की सफलता हेतु समस्त तैयारी समय से पूर्ण कर ली जाय ।

17- अनुश्रवण- जिला स्तरीय वृक्षारोपण समिति द्वारा वृक्षारोपण के रख-रखाव पर विशेष बल दिया जाय क्योकि रोपण से अधिक महत्वपूर्ण रोपित पौधों की सुरक्षा कार्य है । वर्ष 2017-18 में

वृक्षारोपण कार्य में सरकारी भूमि पर कराये जाने वाले वृक्षारोपणों के स्थलीय सत्यापन हेत आवश्यक व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाय:-

(क). वन विभाग के विभागीय वृक्षारोपणों का शत-प्रतिशत स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा अन्तर्विभागीय जांच दलों से कराया जाय ।

(ख). अन्य विभाग के विभागीय वृक्षारोपण के कार्यो का स्थलीय सत्यापन जिलाधिकारी जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अन्तर्विभागीय जांच समितियाँ गठित कर कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

(ग). सम्बन्धित विभागों द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपण के कुल लक्ष्य का 5 प्रतिशत सत्यापन विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा कराया जायेगा।

(घ). सम्बन्धित विभाग जिन्हे विभागीय वृक्षारोपण के लक्ष्य आवंटित किये गये है, स्थलवार रोपित पौधों की सूचना विकासखण्डवार जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि सत्यापन हेतु अन्तर्विभागीय जांच टीमों को विवरण उपलब्ध हो सकें ।

(च). सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति की संकलित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियो/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

18- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी विभागीय व अन्य विभागों की वृक्षारोपण की प्रगति वृक्षारोपण सत्र (माह जुलाई से सितम्बर) में प्रतिदिन वन विभाग की वेबसाइट के पी0एम0एस0 लिंक पर (Plantation management system) अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों का कृपया कडाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(राहुल भटनागर),
मुख्य सचिव,

संख्या-1343(1)/14-5-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

shasanadesh.up.nic.in

5. सम्स्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परियोजना, निदेशक, अपर जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव,

shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट-2

विभागीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में वृक्षारोपण का विवरण

(आवास/औद्योगिक विकास/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/

लोक निर्माण/सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा)

जनपद का नाम-

ब्लाक का नाम-

वर्ष -

क्र0सं0	वृक्षारोपण स्थल के सम्बन्ध में		रोपित पौधों की संख्या		वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल (हे0)	अभ्युक्ति
	ग्राम/शहर का नाम	स्थल का पता	प्रजाति	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7

shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट-3

विभागीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में वृक्षारोपण का विवरण

प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रोपित की जानी वाली प्रजातियों का विवरण

1- **तराई-भाबर जोन**

(क) ईधन वाली प्रजातियाँ
बबूल, यूकेलिप्टस, सुबबूल और काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ
अर्जुन (टरमिनेलिया अर्जुन), अर्रू (आइलैन्थस इक्सेल्सा), असना (टरमिनेलिया एलाटा), बबूल, बहेड़ा, बैसी (सैलिक्स टेट्रिस्पर्मा, बकैन, धौरा, कटहल (आर्टोकार्पस हीटेरोफिलस), लसौड़ा (कार्डिया डाइकोटेमा), पूला (कीडिया कैलीसिना), कुईराल (बाहीनिया पर्पूरिया), सॉंदन, सुबबूल और शहतूत

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ
शीशम, जामुन, पौपलर, सागौन, गम्हार (मेलायना आरबोटिया)

(घ) फलदार प्रजातियाँ
आम, ऑवला, बहेड़ा, बेल, बेर, जामुन, कटहल, लसोड़ा आदि।

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ
केशिया सियामिया, सेमल, जरूल (लेगसीट्रमिया फलासरेजाइना), अमलतास, कचनार, गुलमोहर, एल्सटोनिया (छितवन) कदम्ब।

(च) पर्यावरण प्रजातियाँ
पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर

2- **तराई जोन**

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ
बबूल, ढाक, सुबबूल, सिद्वा (लैगर्सट्रिमिया पार्वीफलोरा) प्रोसोपिस (विलायती बबूल) जामुन, काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ
अर्रू, बबूल, बकैन, बेर, कचनार, पूला, सुबबूल संजना, नीम, बेसी, सैलिक्स

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ
असना/सेन, बबूल, बांस, सागौन, शीशम, नीम, जामुन आदि

(घ) फलदार प्रजातियाँ
ऑवला, बेल, इमली, कटहल, लसोड़ा, महुआ, संजना आदि

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ
अमलतास, कैसिया, सेमल, मदार/कोरल ट्री (एरीथाइना इण्डिका), कचनार, गुलमोहर, जकरेन्डा, कदम (एन्थेसिफलस कदम्बा) सीता अशोक, नीम, चमेली, आकाश नीम, पेल्टोफोरम, अशोक, पालीएल्थिया पेन्डुला, मौलश्री (माइमूसाप्स एलेंगी)।

sharanadesh.up.nic.in

3- <u>गांगेय क्षेत्र (पश्चिमी)</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ

बबूल, ढाक, इमली, फराश, कंजी, सुबबूल, प्रोसोपिस (बिलायती बबूल), काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ

अर्रू, बबूल, बेर, कचनार, लसोड़ा, नीम, काला सिरस, सुबबूल

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ

शीशम, जामुन,सागौन, बबूल, कंजू, नीम, आम

(घ) फलदार प्रजातियाँ

आम, इमली, बेल, ऑवला, महुआ, कचना, सैंजना, कैथा, खिन्नी, लसोडा आदि

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ

कनकचम्पा, अमलतास, कैशिया, सियामिया, अशोक, गुलमोहर, कचनार, नीम, चमेली, सेमल, मदार, जकरन्डा, कदम्ब।

4- <u>गांगेय क्षेत्र (पूर्वी)</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ

अर्जुन, बबूल, इमली, कंजी, सुबबूल, बिलायती बबूल, ढाक आदि

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ

अर्रू, बेल, बेर, धौरा, कचनार, काला सिरस, सफेद सिरस, नीम लसोडा, सुबबूल आदि।

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ

शीशम, सागौन, जामुन, आम, महुआ, काला सिरस, कंजू, कठ सागौन

(घ) फलदार प्रजातियाँ

आम, ऑवला, महुआ, बेल, बेर, कटहल, इमली, कचनार, महुआ, सेंजन, और जामुन आदि

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ

वह सभी प्रजातियाँ जो गांगेय क्षेत्र पश्चिमी में दी गई हैं।

5- <u>विन्ध्य जोन</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ

बबूल, कघई, कन्जी, विलायती बबूल, सुबबूल, अंजन, बेर और कंकोर

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ

बबूल, बेल, कचनार, काला सिरस, सैंजन, अंजन

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ

शीशम, काला सिरस, सागौन, महुआ

(घ) फलदार प्रजातियाँ

बेल, चिरौंजी, खिन्नी, महुआ, ऑवला, शरीफा

sfsandesh.up.nic.in

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ

अमलतास, नीम, चमेली

6- निम्न प्रजातियाँ जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयोगी है (पानी कुछ महीने ही जमा रहता हो) अर्जुन, जामुन, बैसी, गुटेल, सफेद सिरस, ढाक।

7- नदियों के किनारे पानी वाली भूमि जहाँ वर्षा में बाढ़ आ जाती है-
सफेद सिरस, पेपर मलबरी, शीशम, खैर, झाऊ, वाइटेक्स निगन्डू।

8- मेरठ, बुलन्दशहर व अन्य जिलों के खादर क्षेत्र (वह क्षेत्र जहाँ गंगा की बाढ़ में लम्बे समय के लिये पानी जमा हो जाता है, केवल वहीं स्थान जो ऊँचाई पर हैं वृक्षारोपण के लायक है)
कठ सागौन, ढाक, काला सिरस, सफेद सिरस, जामुन आदि

9- बीहड़ भूमि (रेवीन्स)-
विलायती बबूल (नीचे घाटियों में) नीम, जंगल जलेबी, करील, पार्किन्सोनिया, खजेड़ा, लसोडा

10- पथरीले क्षेत्र-
नीम, अंजन, बेर, सलाई।

11- रेतीले क्षेत्र-
बबूल, कठ सागौन, काला सिरस, नीम, शीशम, पार्किन्सोनिया, विलायती बबूल, फराश, बेर।

12- चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र-
बबूल, आकशमोनी, ढाक, असना, अर्जुन और जामुन।

13- उसरीले क्षेत्र-

(क) पी0एच0-9 से नीचे

काला सिरस, नीम, महुआ, आकाश मोनी, विलायती बबूल, अर्जुन, ढाक, भारी ऊसर वाले क्षेत्र।

(ख) पी0एच0-9 से ऊपर

विलायती बबूल, अर्जुन, और ढाक ही हो सकते है-वह भी तब जब पानी देने की व्यवस्था हो और मृदा को ठीक करने वाले पदार्थ जैसे जिप्सम या पाइराइट दिया गया हो।

shasmadesh.up.nic.in

ifjf"k"V&1

o"k 2017&18 ¼o"kkdky 2017½ gr vufUre foHkkxh; o{kkjki.k d y{;k dk iHkkxokj@tuinokj@e.Myokj y{;

d0 l0	tuin@iHkkx	foHkkxh; iLrkfor y{;	
		y{; g0 e	ikfk l[;k e
1	2	3	4
1	vkxjk	1039	1139000
2	fQjk tkckn	1456	1937000
3	euijh	159	303000
4	eFkjk	244	342000
	vkxjk e.My	**2898**	**3721000**
5	vyhx<	214	366000
6	,Vk	53	70000
7	gkFkjl	113	189000
8	dklxt	34	30000
	vyhx< e.My	**414**	**655000**
9	ejB	117	119000
10	xkft ;kckn	29	50000
11	gkiM	86	66000
12	cyUn'kgj	256	355000
13	xkrec)uxj	104	149000
14	ckxir	51	61000
	ejB e.My	**643**	**800000**
	lgkjuij	8	6000
15	f'kokfyd	202	203000
16	etQQjuxj	223	253000
17	'kkeyh	82	154000
	lgkjuij e.My	**515**	**616000**
18	cnk;	254	345000

19	cjyh	237	251000
20	'kkg t gkij	1215	1493000
21	ihyhHkhr@ihyhHkhr lk0ok0	22	17000
	cjyh e.My	**1728**	**2106000**
	fc tukj	60	37000
22	fc tukj@u thckckn	383	382000
23	ejknkckn	102	100000
24	lEHky	60	74000
25	jkeij	90	74000
26	vejkgk	631	1003000
	ejknkckn e.My	**1326**	**1670000**
27	Qrgij	82	135000
28	irkix<	220	354000
29	bykgkckn	1111	1156000
30	dk'kkEch	138	130000
	bykgkckn e.My	**1551**	**1775000**
31	tkuij	242	266000
32	xkthij	204	235000
33	okjk.klh	107	107000
34	pUnkyh@dk'kh oU; tho	1352	1474000
	okjk.klh e.My	**1905**	**2082000**
	fetkij	303	323000
35	dej oU; tho iHkkx] fetkij	58	64000
	lkuHkn@lkuHkn	97	97000
	vkcjk	286	314000
36	judV	278	305000
37	lUrjfonkluxj ¼Hknkgh½	82	95000
	fetkij e.My	**1104**	**1198000**

38	xkj[kij	297	294000
	egjktxt@lkgxhcjok oU; tho	310	317000
39	egjktxt @xkj[kij ikV	118	114000
40	nofj;k	138	138000
41	iMjkuk d'khuxj	370	387000
	xkj[kij e.My	**1233**	**1250000**
42	fl)kFkuxj	164	200000
43	cLrh	394	380000
44	lrdchjuxj	306	300000
	cLrh e.My	**864**	**880000**
45	eÅ	76	68000
46	vktex<	228	256000
47	cfy;k	314	336000
	vktex< e.My	**618**	**660000**
	y[kheij@nf{k.kh [khjh	671	727000
48	y[kheij@mRrj [khjh	605	649000
49	lhrkij	725	1292000
50	gjnkb	663	1171000
51	mUuko	621	1115000
52	y[kuÅ	534	987000
53	jk;cjyh	697	1204000
	y[kuÅ e.My	**4516**	**7145000**
54	ckjkcdh	667	1078000
55	Qtkckn	541	921000
56	lYrkuij	569	1021000
57	vEcMdjuxj	609	1086000
58	veBh	883	1573000

	Qtkckn e.My	**3269**	**5679000**
59	cgjkbp	753	712000
60	xk.Mk	313	334000
61	JkoLrh	1001	1043000
	cyjkeij ¼xk.Mk o0i0½	223	228000
62	cyjkeij lkgyok o0thO	200	210000
	nohikVu e.My	**2490**	**2527000**
63	dkuij uxj	422	637000
64	dkuij ngkr	373	541000
65	Q:[kkckn	277	426000
66	dUukt	122	226000
67	vkj;k	159	269000
68	bVkok	241	306000
	dkuij e.My	**1594**	**2405000**
69	tkyku@mjb	1487	1622000
70	>klh	312	333000
71	yfyrij	808	868000
	>klh e.My	**2607**	**2823000**
72	gehjiij	1727	1886000
73	cknk	252	192000
74	egkck	1237	1348000
	fp=dV	1407	1493000
75	dej oU; tho iHkkx]	90	89000
	fp=dV/kke e.My	**4713**	**5008000**
	egk;kx&mRrj in'k	**33988**	**43000000**

वर्ष 2017–18 हेतु अन्य विभागों के वृक्षारोपण लक्ष्य

क्र0 सं0	जनपद	आवास विभाग		औद्योगिक विकास विभाग		खादी एवं ग्रामोद्योग प्रसंस्करण विभाग		ग्राम्य विकास विभाग		नगर विकास विभाग		लोक निर्माण विभाग		सिंचाई विभाग		रेशम विकास विभाग		माध्यमिक शिक्षा		बेसिक शिक्षा		कृषि विभाग		कुल योग	
		ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या में	ह0 में	पौध संख्या	ह0 में	पौध संख्या में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	आगरा	22	24100	13	14100	7	7430	74	81300	6	6190	6	6190	8	9200	5	5000	18	19530	104	114200	0		261	287240
2	मथुरा	11	12000	0	0	7	7430	58	64200	7	7740	7	7740	8	9200	5	5000	13	14240	121	133000	0		237	260550
3	फिरोजाबाद	0	0	5	5000	8	8570	58	64200	7	7740	7	7740	8	9200	5	5000	12	13270	68	75200	0		178	195920
4	मैनपुरी	0	0	1	1200	8	8570	58	64200	7	7740	7	7740	8	9200	5	5000	13	13890	120	132300	0		227	243840
	आगरा मण्डल	**33**	**36100**	**18**	**20300**	**29**	**32000**	**249**	**273900**	**27**	**29410**	**27**	**29410**	**33**	**36800**	**18**	**20000**	**55**	**60930**	**413**	**454700**	**0**	**0**	**903**	**993550**
5	फतेहपुर	0	0	1	1200	8	8570	103	113500	7	7740	7	7740	8	9200	20	22200	8	8800	126	138900	54	59400	343	377250
6	प्रतापगढ़	0	0	0	0	8	8570	131	144500	7	7740	7	7740	8	9200	0	0	17	18910	132	145000	24	26700	335	368360
7	इलाहाबाद	22	24100	15	16000	8	8570	131	144500	7	7740	7	7740	8	9200	0	0	28	30470	191	210000	164	179900	580	638220
8	कौशाम्बी	0	0	8	8600	8	8570	45	49300	6	6190	6	6190	8	9200	0	0	10	10850	62	68000	39	43100	191	210000
	इलाहाबाद मण्डल	**22**	**24100**	**23**	**25800**	**31**	**34280**	**411**	**451800**	**27**	**29410**	**27**	**29410**	**33**	**36800**	**20**	**22200**	**63**	**69030**	**511**	**561900**	**281**	**309100**	**1449**	**1593830**
9	बदायूँ	0	0	1	1200	8	8570	103	113500	7	7740	7	7740	8	9200	5	5000	6	6680	104	113900	43	47500	292	321030
10	बरेली	22	24100	8	9000	8	8570	131	144500	7	7740	7	7740	8	9200	5	5000	9	10410	162	178200	0		368	404460
11	पीलीभीत	0	0	4	4900	8	8570	74	81300	6	6190	6	6190	8	9200	9	9900	4	3900	83	91800	0		202	221950
12	शाहजहाँपुर	0	0	1	1200	8	9280	125	137400	7	7740	7	7740	8	9200	5	5000	9	10100	101	111400	8	8900	280	307960
	बरेली मण्डल	**22**	**24167**	**15**	**16300**	**32**	**34990**	**433**	**476700**	**27**	**29410**	**27**	**29410**	**33**	**36800**	**23**	**24900**	**28**	**31090**	**450**	**495300**	**51**	**56400**	**1141**	**1255467**
13	बाराबंकी	0	0	1	1200	8	8570	132	145500	7	7740	7	7740	8	9200	1	1240	7	7360	96	105400	0		267	293950
14	फैजाबाद	11	12000	15	16100	8	8570	88	97300	7	7740	7	7740	8	9200	0	0	10	10790	111	121900	0		265	291340
15	सुल्तानपुर	0	0	1	1200	8	8570	103	113500	7	7740	7	7740	8	9200	1	1240	6	6470	71	78100	0		213	233760
16	अम्बेडकरनगर	0	0	1	1200	8	8570	103	113500	7	7740	7	7740	8	9200	0	0	9	10290	99	108500	0		242	266740
17	अमेठी	0	0	0	0	8	8570	74	81300	7	7740	7	7740	8	9200	0	0	6	6530	80	88000	0		190	209080
	फैजाबाद मण्डल	**11**	**12000**	**18**	**19700**	**39**	**42850**	**501**	**551100**	**35**	**38700**	**35**	**38700**	**42**	**46000**	**2**	**2480**	**38**	**41440**	**456**	**501900**	**0**	**0**	**1177**	**1294870**
18	गोरखपुर	22	24100	1	1200	8	8570	147	161500	6	6190	6	6190	10	11200	9	9850	10	10960	145	159500	0		363	399260
19	महाराजगंज	0	0	3	3700	8	8570	118	129500	6	6190	6	6190	10	11200	4	4900	5	5470	93	102600	0		253	278320
20	देवरिया	0	0	1	1200	7	7430	132	145500	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	11	11880	115	126800	0		288	316390
21	कुशीनगर	0	0	1	1200	7	7430	132	145500	6	6190	6	6190	10	11200	9	9900	10	10730	95	105000	0		276	303340
	गोरखपुर मण्डल	**22**	**24100**	**7**	**7300**	**29**	**32000**	**529**	**582000**	**23**	**24760**	**23**	**24760**	**41**	**44800**	**22**	**24650**	**35**	**39040**	**449**	**493900**	**0**	**0**	**1179**	**1297310**
22	जालौन / उरई	0	0	1	1200	7	7430	74	81500	6	6190	6	6190	10	11200	5	4950	8	8370	103	113000	0		218	240030
23	झांसी	6	6500	4	4900	7	7430	52	57000	6	6190	6	6190	10	11200	5	4950	5	5790	95	105000	0		196	215150
24	ललितपुर	0	0	0	0	7	7430	37	41200	6	6190	6	6190	10	11200	5	4950	2	2100	63	69700	0		135	148960
	झांसी मण्डल	**6**	**6500**	**6**	**6100**	**20**	**22290**	**163**	**179700**	**17**	**18570**	**17**	**18570**	**31**	**33600**	**14**	**14851**	**15**	**16260**	**262**	**287700**	**0**	**0**	**549**	**604141**
25	कानपुर नगर	55	60400	39	43300	7	7430	67	73500	6	6190	6	6190	10	11200	9	9900	19	20460	146	160700	50	55000	413	454270
26	कानपुर देहात	0	0	2	2400	7	7430	74	81500	6	6190	6	6190	10	11200	5	4950	8	9190	91	100000	0		208	229050
27	फर्रुखाबाद	0	0	0	0	7	7430	59	65200	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	6	6590	96	105500	74	81800	264	290100
28	कन्नौज	0	0	0	0	7	7430	52	57000	6	6190	6	6190	10	11200	5	4950	8	9040	79	86900	19	20800	191	209700
29	इटावा	0	0	0	0	7	7430	52	57000	6	6190	6	6190	10	11200	5	4950	8	8300	98	107500	0		190	208760
30	औरैया	0	0	0	0	7	7430	52	57000	6	6190	6	6190	10	11200	5	4950	7	7830	79	87400	0		171	188190
	कानपुर मण्डल	**55**	**60400**	**42**	**45700**	**41**	**44580**	**356**	**391200**	**34**	**37140**	**34**	**37140**	**61**	**67200**	**27**	**29702**	**56**	**61410**	**589**	**648000**	**143**	**157600**	**1436**	**1580072**
31	खीरी	0	0	0	0	7	7430	132	145500	6	6190	6	6190	10	11200	9	9900	6	6380	123	134900	0		298	327690
32	सीतापुर	0	0	4	4900	7	7407	147	161500	6	6190	6	6190	10	11200	9	9900	10	11050	179	196500	0		377	414837
33	हरदोई	0	0	8	8600	7	7400	147	161500	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	16	17140	180	197700	15	16500	393	432420
34	उन्नाव	6	6500	8	8600	7	7430	116	127500	6	6190	6	6190	10	11200	9	9900	9	9690	140	153900	45	49000	360	396100
35	लखनऊ	82	90100	15	16000	7	7430	74	81500	6	6190	6	6190	10	11200	1	1240	23	24800	140	154200	0		363	398850
36	रायबरेली	6	6533	4	4900	7	7430	103	113500	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	8	8890	120	132200	36	40100	306	337133
	लखनऊ मण्डल	**94**	**103133**	**39**	**43000**	**40**	**44527**	**719**	**791000**	**34**	**37140**	**34**	**37140**	**61**	**67200**	**28**	**30940**	**71**	**77950**	**881**	**969400**	**96**	**105600**	**2097**	**######**
37	मेरठ	55	60400	3	3700	7	7430	60	65500	6	6190	6	6190	10	11200	11	12380	11	11850	114	125200	15	16500	297	326540
38	गाजियाबाद	175	192000	2	2400	7	7430	30	33000	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	6	6300	84	92900	0		325	357610
39	हापुड़	0	0	1	1200	7	7500	30	33000	6	6190	6	6190	10	11200	6	6180	3	3780	33	36200	15	16500	116	127940
40	बुलन्दशहर	6	6500	0	0	7	7500	118	129500	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	10	10900	127	139500	40	44500	329	361980
41	गौतमबुद्धनगर	0	0	466	512500	7	7500	30	33000	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	4	4370	19	21000	0		547	601950
42	बागपत	0	0	0	0	7	7400	30	33000	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	4	3990	40	44500	0		102	112470
	मेरठ मण्डल	**235**	**258900**	**473**	**519800**	**41**	**44760**	**297**	**327000**	**34**	**37140**	**34**	**37140**	**61**	**67200**	**17**	**18560**	**37**	**41190**	**418**	**459300**	**70**	**77500**	**1717**	**1888490**
43	बिजनौर	0	0	0	0	7	7430	132	145500	6	6190	6	6190	10	11200	11	12528	9	10140	161	177000	26	28200	368	404378
44	मुरादाबाद	20	21800	3	3700	0	8000	74	81500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6100	10	11170	89	97500	0		223	253350
45	सम्भल	0	0	1	1200	0	8000	74	81500	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	5	5410	52	56900	51	56500	205	233090
46	रामपुर	0	0	8	8600	0	8000	59	65200	6	6190	6	6190	10	11200	6	6100	8	8900	104	114300	0		206	234680
47	अमरोहा	0	0	4	4900	7	8000	74	81500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	8	8480	102	111900	55	61000	278	305560
	मुरादाबाद मण्डल	**20**	**21800**	**17**	**18400**	**36**	**39428**	**414**	**455200**	**28**	**30950**	**28**	**30950**	**51**	**56000**	**28**	**30928**	**40**	**44100**	**507**	**557600**	**132**	**145700**	**1301**	**1431056**
48	जौनपुर	0	0	0	0	7	8000	147	161500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6100	17	18680	170	186500	0		368	404360
49	गाजीपुर	0	0	11	12300	7	8000	147	161500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	26	29110	140	154500	127	139700	486	534890
50	वाराणसी	6	6600	1	1240	7	8000	103	113500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6100	11	12090	100	109700	55	61000	311	341810
51	चन्दौली	0	0	0	0	7	8000	74	81500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	6	6380	65	71500	63	69800	243	266960
	वाराणसी मण्डल	**6**	**6600**	**12**	**13540**	**29**	**31999**	**471**	**518000**	**23**	**24760**	**23**	**24760**	**41**	**44800**	**23**	**24752**	**60**	**66260**	**475**	**522200**	**246**	**270500**	**1407**	**1548171**
52	मऊ	0	0	3	3700	7	8000	74	81500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	12	13100	67	73400	0		190	209480
53	आजमगढ़	0	0	3	3700	7	8000	176	193500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	15	16670	166	182200	0		394	433850
54	बलिया	0	0	11	12300	7	8000	118	129500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	14	15610	106	117000	55	60900	339	373090
	आजमगढ़ मण्डल	**0**	**0**	**18**	**19700**	**22**	**23999**	**368**	**404500**	**17**	**18570**	**17**	**18570**	**31**	**33600**	**17**	**18564**	**41**	**45380**	**339**	**372600**	**55**	**60900**	**924**	**1016383**
55	सिद्धार्थनगर	0	0	0	0	7	8000	147	161500	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	5	4970	96	105200	0		281	309450
56	बस्ती	0	0	0	0	7	8000	147	161500	6	6190	6	6190	10	11200	11	12400	8	9340	76	83300	0		271	298120
57	संतकबीरनगर	0	0	0	0	7	8000	96	105500	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	5	6000	48	53000	0		178	196080
	बस्ती मण्डल	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**23999**	**390**	**428500**	**17**	**18570**	**17**	**18570**	**31**	**33600**	**17**	**18564**	**18**	**20310**	**220**	**241500**	**0**	**0**	**731**	**803613**
58	मिर्जापुर	0	0	0	0	7	8000	110	120500	6	6190	6	6190	10	11200	11	12400	10	11230	100	109500	153	168000	412	453210
	सोनभद्र	0	0	11	12300	7	8000	80	88100	6	6190	6	6190	10	11200	11	12400	4	4940	98	108000	0		234	257320
60	भदोही	0	0	0	0	7	8000	73	80300	6	6190	6	6190	10	11200	1	1240	4	4880	59	64500	49	53500	215	236000
	मिर्जापुर मण्डल	**0**	**0**	**11**	**12300**	**22**	**23999**	**263**	**288900**	**17**	**18570**	**17**	**18570**	**31**	**33600**	**24**	**25990**	**19**	**21050**	**256**	**282000**	**201**	**221500**	**860**	**946479**
61	सहारनपुर	6	6600	9	9900	7	8000	102	112500	6	6190	6	6190	10	11200	11	12400	8	8790	61	67500	0		227	249270
62	मुजफ्फरनगर	6	6600	1	1240	7	8000	73	80500	6	6190	6	6190	10	11200	0	0	8	8450	123	135300	19	20800	259	284470
63	शामली	0	0	1	1240	7	8000	44	48300	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	3	2780	48	53300	0		130	143400
	सहारनपुर मण्डल	**12**	**13200**	**11**	**12380**	**22**	**23999**	**219**	**241300**	**17**	**18570**	**17**	**18570**	**31**	**33600**	**17**	**18564**	**18**	**20020**	**233**	**256100**	**19**	**20800**	**616**	**677103**
64	हमीरपुर	0	0	0	0	7	8000	419	460500	6	6190	6	6190	10	11200	1	1230	5	5000	63	69300	0		516	567610
65	बांदा	0	0	0	0	7	8000	67	73300	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	4	4670	82	89800	0		187	205550
66	महोबा	0	0	1	1240	7	8000	45	49200	6	6190	6	6190	10	11200	6	6200	3	3190	47	51300	0		130	142710
67	चित्रकूट	0	0	0	0	7	8000	45	49200	6	6190	6	6190	10	11200	9	9800	2	2420	40	43800	0		124	136800
	चित्रकूटधाम	**0**	**0**	**1**	**1240**	**29**	**31999**	**575**	**632200**	**23**	**24760**	**23**	**24760**	**41**	**44800**	**21**	**23514**	**14**	**15280**	**231**	**254200**	**0**	**0**	**957**	**1052754**
68	बहराइच	0	0	9	9900	8	9300	131	144500	6	6190	6	6190	10	10500	11	12400	6	6860	129	142300	0		316	348140
69	गोण्डा	0	0	4	4900	8	9300	146	160500	6	6190	6	6190	10	10500	12	13140	12	13500	128	140800	0		332	365020
70	श्रावस्ती	0	0	0	0	8	9300	67	73500	6	6190	6	6190	10	10500	12	13140	3	3100	49	53500	0		159	175420
71	बलरामपुर	0	0	0	0	8	9300	117	128500	6	6900	6	6900	10	10500	11	12160	3	3500	70	77500	0		232	255260
	देवीपाटन मण्डल	**0**	**0**	**13**	**14800**	**34**	**37200**	**461**	**507000**	**23**	**25470**	**23**	**25470**	**38**	**42000**	**46**	**50840**	**25**	**26960**	**376**	**414100**	**0**	**0**	**1040**	**1143840**
72	अलीगढ़	8	9000	0	0	7	7400	124	136400	9	9530	9	9520	9	10400	0	0	18	19500	112	123000	16	17900	312	342650
73	एटा	0	0	1	1240	6	6500	77	85000	9	9520	9	9520	9	10400	0	0	14	14900	101	110700	0		225	247780
74	हाथरस	0	0	0	0	8	8700	66	72500	9	9520	9	9530	9	10400	0	0	9	9400	59	65000	0		168	185050
75	कासगंज	0	0	2	2400	8	8500	58	64100	9	9530	9	9530	9	10400	0	0	8	8499	72	78900	51	56500	226	248359
	अलीगढ़ मण्डल	**8**	**9000**	**3**	**3640**	**28**	**31100**	**325**	**358000**	**35**	**38100**	**35**	**38100**	**38**	**41600**	**0**	**0**	**48**	**52299**	**343**	**377600**	**68**	**74400**	**931**	**1023839**
	महायोग–उत्तर प्रदेश	**545**	**600000**	**727**	**800000**	**545**	**600000**	**7144**	**######**	**455**	**500000**	**455**	**500000**	**727**	**800000**	**364**	**400000**	**682**	**750000**	**7409**	**8150000**	**1364**	**######**	**20416**	**######**